

रविदत्त
यशवन्त

बनाम रामप्यारी काठ

नम्बर 14 सन् 2018

ख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी किए

218 जथा को ओर से सो हम वमरि मर
ने कपम पेश किया (अधिनियम -
अधिनियम को अधिनियम
को सुना गया एवं प्रमाणों का दोष लेका
किया वही जथा के कथन एवं कथन
आप उल्लेख दलकेगत पर निष्पक्ष
कलिये जथाका के पिरु ह
के लिये किसे वादा इस आशय की
जारी की जाती है कि- अधिनियम
अधिनियम का अबाध उल्लेख होने
रुक-रुक नाम के हुकम. 53 पान. 153/29,
के कि. नं. 19/2012 से 25 की 1.509 है. पान.
60 पान. 159/292 के कि. नं. 10/11 की
2.305 है कुल 3.894 है कठोर अधि-
नियम जथा को माता उपपत्ति - का 1/5
हिसा में जथा के 1/5 हिस्से के
हिस्से की अधिनियम कलिये
अधिनियम ललाव हो वकील
जथा 039 र 3 ललाव ललाव कलिये
पमावली 0.24-4-18 का पेश हो

28/2/18

आहु पद पजाकी अतीत जल्दी के ज-
नाड-नाड के अतिर रीत या-पेरीने ली मंडा पत्रकारण
के मध्य रात्रीगना डेयका है अब आगे ज-
पलाग नही पाहता अतीत जल्दी के आभय पर जल्दी
वा जहा फा मीनुदा वूरत में खोज किया जाहा है
के जारी हलाक आडिम की खोज किया जावा है पत्रकारण
के लिये में शुभ होके जारीत 5 फरव (ह)

1/1/18/18
[Signature]

अधिये पुनाप्य गणा

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

20/2/18
[Signature]